

राजस्व अपील सं.04/2020
ऑनलाईन नंबर 2020/00132

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

निर्णय दिनांक :-22.09.2022

1. शिवलाल पुत्र चौथराम जाति सैनी निवासी रेवाड़ी रोड कैलाश नगर, नारनौल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
2. ममता पत्नी मनोहर जाति सैनी निवासी रेवाड़ी रोड कैलाश नगर, नारनौल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
3. योगिता पत्नी विक्रम जाति सैनी निवासी रेवाड़ी रोड कैलाश नगर, नारनौल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

"अपीलान्ट्स"

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत जोधासर पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़

"रेस्पोंडेन्ट्स"

उपस्थिति:-

1. श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से परोकाराराज

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकारा है कि रोही ग्राम जोधासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में खेताराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर से खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1122 क्षेत्रफल 8.25 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में से अपीलान्ट संख्या 1 ने पश्चिमी तरफ से 2.75 हैक्टेयर अपीलान्ट संख्या 2 ने मध्य से 2.75 हैक्टेयर अपीलान्ट संख्या 3 ने पूर्वी तरफ से 2.75 हैक्टेयर खरीद की, जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में दिनांक 28.06.2019 को निष्पादित करवाया गया तथा अपीलान्ट ने विक्रयधन की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि जरिये बैंक भुगतान कर दी। उपरोक्त कृषि भूमि का कब्जा काश्त विक्रेता खातेदार द्वारा अपीलान्ट्स को सौंप दिया गया था। यह है कि बाद विक्रय पत्र नामान्तरणकरण (म्यूटेशन) की कार्यवाही के तहत हल्का पटवारी जोधासर द्वारा दिनांक 30.01.2020 को नामान्तरणकरण रजिस्ट्रार में नामान्तरणकरण दर्ज कर अपीलान्ट संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 1496/1122 तादादी 2.75 हैक्टेयर वारानी, अपीलान्ट संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 1497/ 1122 तादादी 2.75 हैक्टेयर वारानी, अपीलान्ट संख्या 3 के नाम से खसरा नम्बर 1498 /1122 तादादी 2.75 हैक्टेयर वारानी नामान्तरणकरण रजिस्ट्रार में दर्ज किया गया तथा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.01.2020 को बिना किसी जांच बिना खातेदार के वयान विद्वेशपूर्ण भावना से ग्रसित होकर बैंको से भुगतान नही होने की दशा में विक्रयपत्र शुन्य माना जायेगा। चुकि भुगतान हो जाने सम्बन्धी कोई तथ्य अंकित नही है। अतः नामान्तरणकरण स्वीकृत किया जाना उचित नही है का नोट लगा दिया गया। यह है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना कोई जांच कर केवल भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच के आधार पर नामान्तरण संख्या 725 को दिनांक 05.03.2020 अस्वीकृत किया गया। जो विधि विरुद्ध है। यह है कि जैर अपील नामान्तरणकरण व आदेश ग्राम पंचायत जोधासर हल्का पटवारी से दिनांक 20.10.2020 को सम्पर्क करने पर हुई। जिस पर नामान्तरणकरण संख्या 725 की नकल दिनांक 20.10.2020 को ली जाकर पेश की जा रही है। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा न्यायालय के निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश की जा रही है। यह है कि अपील समयावधि में पेश है।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन किया गया है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जोधासर के आदेश दिनांक 05.03.2020 नामान्तरणकरण संख्या 725 को खारिज कर रेसपोडेन्ट संख्या 02 को आदेश दिया जावे, कि उक्त नामान्तरणकरण (म्युटेशन) की जांच कर नामान्तरणकरण दर्ज किया जावे।

अपीलान्टस की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेसपोडेन्ट संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेसपोडेन्ट संख्या 2 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, परन्तु रेसपोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब का अवसर बन्द किया गया। बहस सुनी गई। संक्षेप में अपील अपीलान्टस स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

रोही ग्राम जोधासर के इन्तकाल संख्या 725 दिनांक 05.03.2020 को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक विक्रय पत्रों की जांच कर नामान्तरणकरण दर्ज किया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ को भेजकर आदेश की पालना सुनिश्चित करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हों। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



Ubyo
(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ
(दिव्या)